न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष अशोक शिवहरे

सदस्य

पुनरावलोकन प्र0 क0 283 / ।।।/2009 विरूद्ध आदेश दिनांक 06-1-2009

पारित- व्दारा - सदस्य,राजस्व मण्डल ग्वालियर – प्र0क0 1584 ।।/2004

छिंगा पुत्रकाना काछी निवासी ग्राम धुवारा
तहसील विजावर, जिला छतरपुर, म0प्र0 आवेदक

विरूध्द

म0प्र0शासन व्दारा अनावेदक

आवेदक के अभिभाषक श्री ए.के.अग्रवाल

अनावेदक की ओर से पैनल अभिभाषक

आदेश

(आज दिनांक 12-6-2014 को पारित)

यह पुनरावलोकन आवेदन निगरानी कमांक 1584-।।/2004 मे तत्का. सदस्य व्दारा पारित आदेश दिनांक 06 जनवरी, 2009 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि पटवारी हलका नंबर 10 ने नायब तहसीलदार वृत्त धुवारा को प्रतिवेदन दिनांक 9-2-2000 प्रस्तुत कर बताया कि आवेदक द्वारा ग्राम धुवारा की भूमि खसरानंबर 2481 में सागर टीकमगढ सडक सीमा के अन्दर 34x13 फुट भूमि में सतह से 8 फुट दीवाल बनाकर मकान निर्माण किया जा रहा है । नायब तहसीलदार धुवारा ने आवेदक के विरूद्व प्रकरण कमांक 309/अ-68/99-2000 पंजीबद्व किया तथा जांच एंव सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 16-5-2000 पारित कर आवेदक पर 500/ रू अर्थदण्ड करते हुये बेदखली का आदेश दिया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी, विजावर के समक्ष अपील होने पर प्र0क0 50/01-02 में पारित आदेश दिनांक 2-7-02 से अपील समयवाह् मानकर निरस्त की गई।

इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 759/01 02 में पारित आदेश दिनांक 9—11—04 से अपील निरस्त की गई एंव अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 2-7—02 स्थिर रखा गया। अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के आदेश दिनांक 9 11 04 के विरूद्व राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर में निगरानी होने पर प्रकरण कमांक 1584- II/2004 निगरानी में तत्का. सदस्य व्दारा पारित आदेश दिनांक 06 जनवरी, 2009 से निगरानी निरस्त की गई, इसी आदेश के विरूद्व यह पुनरावलोकन आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

2/ उभय पक्ष के अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया तथा निगरानी कमांक 1584 -II/2004 में तत्का. सदस्य व्दारा पारित आदेश दिनांक 06 जनवरी, 2009 के अवलोकन के साथ अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का परिशीलन किया गया।

3/ राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर में निगरानी कमांक 1584 II/2004 में पारित आदेश दिनांक 06 जनवरी, 2009 में निर्णीत किया गया है कि :-

" यदि दिनांक 16-7-2000 को पारित आदेश की जानकारी उक्त तिथि को आवेदक को नहीं थी, किन्तु दिनांक 14.8.2000, 25—9—2000, 5—10—2000, 17-10—2000, 30 10 2000, 9 11-2000, 20 11—2000, 8 12--2000 तथा 21-12-2000 को विचारण न्यायालय में बेदखली की कार्यवाहियों में उसने भाग लिया है। अतः विद्वान अनुविभागीय अधिकारी ने यह निष्कर्ष निकालकर कि अपीलार्थी को विचारण न्यायालय के आदेश की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 14-8—2000 को हो चुकी थी, कोई भूल नहीं की है। विलम्ब क्षमा करने के आवेदन में जो तथ्य बतलाये गये वे प्रकरण की वस्तुस्थिति के अनुसार नहीं होने से विद्वान अनुविभागीय अधिकारी ने उनका समय सीमा अधिनियम के अधीन विलम्ब क्षमा करने का आवेदन सही तौर पर अमान्य किया है। असत्य भाषण कर उदारता की अपेक्षा न्यायालय से करना अनुचित कार्यवाही की परिधि में आता है। "

आदेश दिनांक 6 जनवरी 2009 में निकाले गये उक्त निष्कर्ष के विपरीत आवेदक के अभिभाषक यह समाधान नहीं करा सके, आदेश दिनांक 6 जनवरी 2009 में कौनसी प्रत्यक्ष भूल अथवा लिपिकीय भूल हुई है, जिसके आधार पर पुनरावलोकन आवेदन ग्राह्य किया जाकर तत्कालीन सदस्य, राजस्व मण्डल

व्दारा निगरानी कमांक 1584–II/2004 में पारित आदेश दिनांक 06 जनवरी, 2009 में हस्तक्षेप किया जावे। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 में पुनरावलोकन हेतु निम्नानुसार आधारों का स्पष्ट होना विचार हेतु जरूरी है:–

(अ) किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक तत्परता के पश्चात् भी उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके व्दारा पेश नहीं की जा सकती थी या ,

(ब) मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या

(स) कोई अन्य पर्याप्त कारण ।

पुनर्विलोकन चाहे स्वप्रेरणा से किया जाय, या किसी पक्षकार के आवेदन पर, इन तीनों में से एक या अनेक आधारों पर ही किया जा सकता है अन्यथा नहीं, किन्तु आवेदक के अभिभाषक पुनरावलोकन आवेदन में अथवा बहस के दौरान ऐसा कोई समाधानकारक आधार नहीं बता सके कि उपरोक्त तीन आधारों में से एक अथवा उससे अधिक आधार पुनरावलोकन किये जाने हेतु उपलब्ध है।

4/ अतएव पुनरावलोकन आवेदन ठोस आधारों पर आधारित न होने अमान्य किया जाता है । परिणामतः तत्कालीन सदस्य, राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर व्दारा निगरानी कमांक 1584–II/2004 में पारित आदेश दिनांक 06 जनवरी, 2009 यथावत् रहता है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मंडल
मध्य प्रदेश ग्वालियर